रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1978/कार्तिक 27, 1900
No. 220] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1978/KARTIKA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEC 1978 GOVT OF

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 87-आई०टी०सी०(पीएन)/78

विषय :— यू के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित शर्तों की अनुसूची।

मि० सं० आई० पी० सी/39/2/76:—यू०के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन यू० के० से आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें।

सामान्य शर्तें

1. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर "यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978" अभिलेख होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाइसेंस पर "आर०/एम जी" संकेत भी होगा।

2. आयात लाइसेंस, पूर्ण रूपेण या मुख्य रूप से यू० के० में उत्पादित या निर्मित माल या सामग्री का केवल यू० के० (इस संदर्भ में इस अभिव्यक्ति में चैनल आइलैंड और आइल आफ मैन भी शामिल है) से आयात करने के लिए वैध होगा।

3. आयात लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य :

न्यूनतम मूल्य जिसके लिए यू०के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन फालतू पुर्जों, संघटकों और/या कच्चे माल आदि के लिए एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है। 10,000 रुपए (दस हजार रुपए मात्र) है। लेकिन, यह सीमा उन लघु पैमाना उद्योग एककों के लिए लागू नहीं होगी जिनके मामले में कम से कम 1,000 रुपए (एक हजार रुपए) मूल्य के लिए आयात लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

4. आयात लाइसेंस की वैधता

साधारणत आयात लाइसेंस इसके जारी होने की तिथि से बारह (12) महीनों की अवधि के लिए वैध होगा।

5. आयात लाइसेंस के ब्यौरे की सूचना :

आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातकों को आयात लाइसेंस के ब्यौरे अर्थात् पूर्ण संख्या, दिनांक, इसका मूल्य और इसका शीर्षक और इसकी फोटो स्टेट प्रति आर्थिक कार्य विभाग (अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग), नई दिल्ली, को सूचना भेजनी चाहिए। सूचना की एक प्रति आयात लाइसेंस की फोटो स्टेट प्रति के साथ नियंत्रक सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षक (सी ए ए एण्ड ए), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली, को भी भेजनी चाहिए। आयात लाइसेंस की मूल्य/माल की सूची में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन भी इसी प्रकार से आयात लाइसेंस की फोटो स्टेट प्रति के साथ अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यू ई-2 अनुभाग (आर्थिक कार्य विभाग) को और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को भेजने चाहिए।

6. आदेश देना

(क) आदेश देने की अवधि: लागत और भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा (यदि सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान ऐसा चाहें तो जहाज पर नि:शुल्क/जहाज तक नि:शुल्क) आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से (8) आठ महीनों की अवधि के भीतर यू० के० संभरकों को पक्के आदेश अवश्य दिए जाने चाहिएं। यहां तकस्पष्ट किया जाए कि "पक्के आदेशों" का अर्थ केवल भारतीय आयातकों द्वारा आदेश दे देना ही नहीं होगा बल्कि यू० के० संभरकों द्वारा भी आठ (8) महीनों की निर्धारित अवधि में लिखित रूप में उनका पुष्टिकरण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आदेश देने का अर्थ केवल भारतीय आयातकों की ओर से आदेश भेज देना ही नहीं बल्कि यू० के० संभरकों की ओर से उनको स्वीकार कर लेना या उनका पुष्टिकरण करना भी है।

(ख) आदेश देने की अवधि में वृद्धि करना: जिन मामलों में आठ महीनों के भीतर आदेश वैध कारणों से न दिए जा सके हों उनमें आदेश देने में विलम्ब होने के कारण देते हुए और जिस तिथि तक आदेश दिए जाएंगे वह तिथि निर्दिष्ट करते हुए आदेश देने की अवधि में [उपर्युक्त पैरा 6 (क) में] यथा निर्धारित उचित रूप से वृद्धि कराने के लिए लाइसेंसधारी को तुरन्त आयात लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो कि अधिकतम चार महीनों की और वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से बारह महीनों से आगे मांगी जाएंगी तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाएंगे।

(ग) लाइसेंस देने की इन शर्तों में उपयोग किया गया शब्द "पक्के आदेश" आदेश देने के लिए वैधता अवधि के भीतर लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए लाइसेंस मूल्य के किसी भाग के लिए नहीं। यदि आयातक प्रारम्भिक या बढ़ाई गई अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश देने में समर्थ नहीं हुआ है, [देखिए उपर्युक्त पैरा-6(ख)] तो लाइसेंस केवल उसी सीमा तक उपलब्ध कराया गया समझा जाएगा जिस सीमा तक आदेश देने की वैधता अवधि के भीतर पक्के आदेश दिए गए थे।

(घ) विदेशी मुद्रा के लेन देन में प्राधिकृत व्यापारी साख पत्र की स्थापना करने के लिए तब तक किसी भी धन परेषण या सुविधा की अनुमति नहीं देगा जब तक कि आठ महीने की प्रारम्भिक अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति बढ़ाई गई अवधि के भीतर दिए गए पक्के आदेशों को विनिर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस-धारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता [देखिए पैरा-7(ख) के नीचे टिप्पणी]।

माल का मूल स्थान

7. माल का मूल उद्गम स्थान यू० के० है यह सुनिश्चित करने के लिए आयातकों का उत्तरदायित्व

(क) यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन आयात लाइसेंस सामान्यत: केवल यू० के० में अधिप्राप्त और उत्पादित या विनिर्मित माल और/या सामान के लिए वैध होंगे। भारतीय आयातक को यू०के० संभरक से पहले से ही यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि क्या प्रस्तावित आयातकों में गैर-यू० के० तत्व का कोई माल निहित है और यदि है, तो उसका प्रतिशत क्या है, इस बात का विशेष रूप से सुनिश्चत किए बिना आयात को किसी भी परिस्थिति में पक्का सौदा या संविदा नहीं करनी चाहिए।

(ख) इस प्रकार की पूछ-ताछ करने पर जब यह बात प्रकट हो जाए कि आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित माल में गैर-यू०के० तत्व हैं तो मामला वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू-ई-2 अनुभाग, नई दिल्ली के नोटिस में इस बात की पुष्टि करने के लिए भेजे जाएं कि क्या आयातक को प्रत्याशित यू०के० संभरक के साथ अपना आदेश/संविदा निर्णित कर लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विशेष मामलों में यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन एकल संविदा में माल के जहाज पर नि:शुल्क मूल्य के 20% की सीमा तक गैर-यू०के० तत्व पर सहमति हो सकती है बशर्ते कि गैर-यू०के० माल परिष्कृत उत्पाद के रूप में हों और आयात के लिए प्रस्तावित परिष्कृत उत्पादों के गैर-यू०के० मूल का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्यों के लिए भारतीय आयातकों को चाहिए कि वे विशेष अनुमोदन के लिए यू०के० संभरकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रपत्र [अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध-3 (परिशिष्ट सी या परिशिष्ट सी (रसायन), जो भी उपयुक्त हो] में आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन करना चाहिए।

टिप्पणी :— साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत बैंक से सम्पर्क करते समय उस बैंक को जिन अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, उनके अतिरिक्त यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा और संविदा प्रमाणपत्र (प्रतियों की निर्धारित संख्या) आयातकों को उस बैंक को उपलब्ध करानी चाहिएं।

भुगतान,

8. यू० के० के संभरकों को भुगतान:

(क) यू० के० के संभरकों को भुगतान की व्यवस्था, जोकि पौण्ड स्टर्लिंग में की जानी अपेक्षित है, सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से धन परेषण द्वारा की जा सकती है।

(ख) माल के अलग-अलग पोतलदान पर अलग-अलग भुगतान की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(ग) आयात लाइसेंस की समाप्ति के दो महीने या समय-समय पर आयात व्यापार नियंत्रण नीति में घोषित की गई निर्धारित अवधि, इनमें जो भी कम हो, उस अवधि के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूरे कर देने चाहिएं।

(घ) जहां आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर पहले ही पोतलदान हो गया हो, लेकिन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जा सका हो, तो जिन कारणों से निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, उसका संकेत करते हुए आयातकों को यू०के० के संभरकों के भुगतान के परेषण

की अनुमति प्रदान करने के लिए नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यू०सी० ओ० बैंक बिल्डिंग संसद् मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली को आवेदन करना चाहिए। ऐसा करते समय आवेदक को अपने बैंक का नाम देना चाहिए जिसके माध्यम से प्रेषण किया जाना है और निर्धारित प्रपत्रों में (अनबन्ध-2 या अनबन्ध-3) [परिशिष्ट-ग या परिशिष्ट-ग (रसायन) जो भी उचित हो] बीजक, लदान पत्र और संविदा प्रमाणपत्र प्रत्येक की यू०के० संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रति भेजनी चाहिए।

(ङ) भारतीय एजेन्ट के कमीशन के प्रति भुगतान :—

भारतीय एजेन्ट के कमीशन के लिए सभी भुगतान भारत में रुपये में करने चाहिएं। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसीलिए के प्रति वसूल किए जाएंगे।

धन वापसी

9. यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अधीन धन वापसी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को यू० के० प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज भेजने हैं :—

(क) परिशिष्ट-ग या परिशिष्ट-ग (रसायन), (अनुबन्ध-2 या-3, जो भी उपयुक्त हो) में निर्धारित प्रपत्र में यू० के० के सम्बद्ध ठेकेदार से प्रमाण-पत्र की एक प्रति, और

(1) जिन मामलों में परिशिष्ट-ग प्रमाणपत्र (अनुबन्ध-2) की व्यवस्था की गयी है, उनमें परिशिष्ट-ख-अनुबन्ध (1) में निर्धारित प्रपत्र में एक भुगतान प्रमाणपत्र और यू० के० सरकार द्वारा रखे जाने के लिए या उनमें उल्लिखित बीजक,

(2) जिन मामलों में परिशिष्ट-ग (रसायन) प्रमाणपत्र (अनुबन्ध-3) की व्यवस्था की गई है उनमें केवल उपयुक्त बीजक हों, या

(ख) ऐसे अन्य साक्ष्य जो यू० के० सरकार समय समय पर उस भुगतान के ब्यौरे के लिए मांगे जिसके लिए धन वापसी चाही गई है।

दस्तावेजीकरण

10. आयातक इस बात की जांच करने के लिए उत्तरदायी है कि यू० के० संभरक संभरित किए गए माल के लिए भुगतान मांगते समय नीचे दिए गए दस्तावेज पूर्ण करे और प्रस्तुत करे :—

(क) पर्याप्त संख्या में फोटो प्रतियों या किसी अन्य क्रिया द्वारा तैयार की गई प्रतियों [बीजक में आयातक का नाम और पता, आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक संभारित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, सभी व्यापार रियायतों को दर्शाते हुए प्रत्येक मद की विक्रय कीमत वितरण का आधार (लागत और भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और वितरण सेवाओं या समुद्री या यातायात बीमे सहित अनुषंगिक सेवाओं की स्टर्लिंग लागत प्रदर्शित होने चाहिएं];

(ख) अनुबन्ध-1 (परिशिष्ट-ख) में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रतियों की पर्याप्त संख्या [जिन ठेकों के सम्बन्ध में अनुबन्ध-3 परिशिष्ट-ग (रसायन)] में दिए गए प्रपत्र में संविदा प्रमाणपत्र की व्यवस्था की गई है उनमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र के नमूने का एक खाली फार्म साक्ष्य पत्र में संलग्न कर देना चहिए जिसको भुगतानप्राप्त करते समय संभरक पूर्ण करेगा,

(ग) अनुबंध-2 या अनुबंध-3 [परिशिष्ट-ग या परिशिष्ट-ग (रसायन)] में निर्धारित संविदा प्रमाणपत्र की प्रतियों या फोटो स्टैट प्रतियों की पर्याप्त संख्या।

यू० के० अनुदान के अधीन धन वापसी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को समर्थ बनाने के लिए भारतीय बैंक का उत्तरदायित्व

11. साक्षपत्र खोलते समय भारत का मुद्रा विनिमय का प्राधिकृत बैंक आयातक की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए साक्षपत्र में आवश्यक शर्तें सम्मिलित करेगा कि यू० के० के संभरकों द्वारा दस्तावेजीकरण की उपर्युक्त आवश्यकताएं नोट कर ली गई हैं और उनका अनुपालन किया जाता है।

12. स्टर्लिंग में भुगतान परेषित करने के बाद भारतीय बैंक को अगले सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज नियंत्रक सहायता लेखा व लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजने चाहिएं जिससे कि भारत सरकार यू० के० अनुदान के अधीन आवश्यक धन वापसी प्राप्त कर सके। भेजे जाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित हैं :—

(क) अनुबंध-2 या अनुबंध-3 [परिशिष्ट-ग या परिशिष्ट-ग (रसायन) जो भी उपयुक्त हो] में दिए गए प्रपत्र में संविदा प्रमाणपत्र जो यू० के० द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।

(ख) अनुबंध-1 (परिशिष्ट ख) में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र जो यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों।

(ग) उपर्युक्त पैरा 10 (क) में यथा उल्लिखित सभी ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए बीजक की एक प्रति।

बीजक की एक प्रति:—

13. ये व्यवस्थाएं लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर देती हैं कि ऊपर यथा निर्दिष्ट सभी दस्तावेज सब प्रकार से विधिवत् पूर्ण करके बैंक समय-समय पर वित्त मंत्रालय को यू० के० अनुदान के अधीन आवश्यक धनवापसी प्राप्त करने के लिए भेजता है।

लाइसेंस के उपयोग के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट

14. जब तक लाइसेंस का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर लिया जाता लाइसेंस के उपयोग की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए अनुबंध 4 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसकी एक प्रति अनुभाग अधिकारी डब्ल्यू ई-2 अनुभाग वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को भेजनी चाहिए जिससे कि वह तिमाही की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर पहुंच सके।

विविध

संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

15. लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में उस किसी विशेष शर्त से विदेशी संभरक को अवगत कराना चाहिए जो लेन-देन के पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

यू० के० संभरक से वापसी

16. यदि संभरक पोत-वणिक या बीमाकर्त्ता से कोई धन वापसी लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की जाती है तो जब और जैसे ऐसी धन वापसी प्राप्त की जाय, प्राप्त की धनराशि को प्रदर्शित करते हुए अन्य संगत ब्यौरों के साथ एक पूर्ण रिपोर्ट पैरा 12 में निर्दिष्ट पते पर वित्त मंत्रालय

को भेजनी चाहिए । धन वापसी से संबंधित रिपोर्ट अनुबंध-5 में दिए गए प्रपत्र में होनी चाहिए । प्राप्त की जाती है तो अब और जैसे ही ऐसी धन वापसी प्राप्त की जाए ।

विवाद

17. यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

भविष्य अनुदेशों का पालन

18. आयात लाइसेंस से संबंधित या इस पर उठने वाले किसी एक या सभी मामलों से संबंधित और क्रेडिट समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश अनुदेश या आदेश का लाइसेंसधारी तुरन्त पालन करेगा ।

उल्लंघन या अतिक्रमण

19. उपर्युक्त शर्तों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन या अतिक्रमण करने के परिणामस्वरूप आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबंधों की सूची

अनुबंध-1	. .	भुगतान प्रमाण पत्र
अनुबंध-2	. .	संविदा प्रमाणपत्र
अनुबंध-3	. .	रसायन और सम्बद्ध उत्पादों के लिए माल के मूल उद्गम का प्रमाणपत्र
अनुबंध-4	. .	उपयोग की त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रपत्र
अनुबंध-5	. .	प्राप्त धन वापसी से संबंधित रिपोर्ट

अनुबन्ध-1

परिशिष्ट-(ख)

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978

भुगतान प्रमाण-पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ लगी हैं, बाकी हैं या नीचे लिखे गए संविदाकर्त्ता और.....खरीददार.....के बीच संविदा संख्या..... .....तारीख.....के संबंध में बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाणपत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख.....को उक्त संविदाकर्त्ता के के नाम पर हस्ताक्षरित है ।

संविदाकर्त्ता के बीजक की संख्या	तारीख धनराशि पौण्ड	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धनराशियां विशिष्टकृत की गई हैं, वे संविदा प्रमाणपत्र की कंडिका 6, 7 अथवा 8 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती हैं ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्त्ता के नाम पर इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर.....
पद जिस पर वह है.....
के लिए और नाम पर
संविदाकर्त्ता का नाम और पता.....
.....
.....

तारीख.....

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करना है ।

अनुबन्ध-2

परिशिष्ट (ग)

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978

संविदा प्रमाण-पत्र

(संविदा का ब्यौरा रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद के लिए दूसरे "प्रमाणपत्र" का प्रयोग करें जो पीछे दिया गया है)

1. संविदा की तारीख.....
2. (क) संविदा की संख्या.....

3. आयात लाइसेंस की संख्या.....

4. खरीदकार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण.....

.....

(यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए)

5. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निशुल्क का उल्लेख कीजिए) पौण्ड.....
यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्त्ता केवल निर्यातक अभिकर्त्ता है, तो मांगी हुई सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए)।

6. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण किए गए संघटकों का प्रतिशत :

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

7. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा अदह पदार्थ, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गयी है तो उनका उल्लेख करें :

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य.....

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण.....

यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खण्डों की भी पूर्ति की जानी चाहिए ।

8. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीदकार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियंता के खर्चे आदि).....

(ख) स्थानीय संविदाकर्त्ता .....

9. ऊपर के पैरा 6, 7, या 8 में उल्लिखित विदेशी मदों के उपयोग करने के कारण दीजिए जैसे यू० के० समरूप उपलब्ध नहीं था, उपकरण की अविभाज्य पुर्जा आदि।

10. उपर्युक्त कंडिका 6, 7, या 8 के संबंध में जैसा आवश्यक हो अर्हक टिप्पणी दें ।

11. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपयुक्त कंडिका 6, 7, या 8 और 9 में विशिष्टिकृत को छोड़कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल का नहीं है, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित .....
पद जिस पर वह है.....
संविदाकर्त्ता का नाम और पता....
.....
.....
.....
दिनांक .....

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिए यू० के० में यदि चैनल आइलैण्ड और आइल्स आफ मैन शामिल है ।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :

परियोजना का नाम एवं संख्या.....भुगतान.....

वचनबद्ध धनराशि	प्रविष्टि की तारीख	अनुमोदन दिनांक, आद्याक्षर	दिनांक	धनराशि पी० ए० सं० आद्याक्षर

अनुबन्ध 3

परिशिष्ट (ग) (रसायन)

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुबन्ध, 1978

केवल रसायन और सम्बद्ध उत्पाद के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तारीख.....संविदा संख्या.....
आयात लाइसेंस संख्या.....दिनांक.....

2. खरीदकार को भेजे गए उत्पाद (दो) का विवरण	कीमत	यू० के० टैरिफ वर्गीकरण	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है ? (हां या नहीं में बताएं)
(टिप्पणी-क)		(टिप्पणी-ख)	'हां' या 'नहीं' में बताएं
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

3. खरीदकार द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल संविदा कीमत (अनुमानित) स्टर्लिंग पौंड में.....

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित हूं और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार मुझे प्राप्त है और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित .....
ओहदा जिस पर वह है.....
संविदाकर्ता का नाम व पता.....
.....

दिनांक .....

टिप्पणी

टिप्पणी क : इस प्रपत्र का उपयोग केवल रासायनिक और सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है, जिनमें से अधिकांश यू० के० टैरिफ अध्यायों 15, 25, 28 35 और 37, 40 में उचित उप-शीर्षकों में शामिल कर ली जाती है ।

टिप्पणी-ख देखें :

1. एच एम सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क टैरिफ एच० एम० एस० ओ० ।
2. ब्रुसल्स नोमेनक्लेचर एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण ।

टिप्पणी ग : 1. उत्पाद, यू० के० मूल के रूप में तब माना जाता है यदि वह या तो पूर्णतया देशी यू० के० सामग्री का बना है या उपयुक्त ई० एफ० टी० ए० अर्हक विधि के अनुसार आयातित सामग्री से पूर्णतया या आंशिक रूप से बना है।

2. ई० एफ० टी० ए० अर्हक विधियां "निर्यातकों के उपयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह" एच० एम० एस० ओ० की अनुसूची-1 में निर्धारित की गई हैं ।

3. इस घोषणा के लिए इस बात पर जोर दिया जाना है कि "वैकल्पिक प्रतिशत मापदण्ड" लागू नहीं होता है ।

4. उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं "क्षेत्र मूल" शब्द आए उसका केवल "यू० के० मूल" अर्थ लगाना चाहिए ।

5. इस घोषणा के लिए "मौलिक सामग्री सूची" (ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह की अनुसूची-3) लागू नहीं होती ।

6. यदि विषयाधीन सामग्री के लिए अर्हक विधि सूचीबद्ध नहीं की जाती है तो विदेशी सरकारों और प्रशासन के लिए क्राउन एजेन्टस, एस-4 डिपार्टमेंट-4, मिल बैंक, लंदन-एस० डब्ल्यू० 1 से सलाह लेनी चाहिए ।

टिप्पणी-घ : इस घोषणा के लिए वि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन यू० के० में शामिल हैं । अनुबन्ध 4

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस के संबंध में त्रैमासिक उपयोग रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में अलग से भेजा जाना है)

तिमाही के लिए:— 1 अप्रैल से 30 जून तक | 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक
1 जुलाई से 30 सितम्बर तक | 1 जनवरी से 31 मार्च तक

	रुपए	पौंड(*)
(क) 1. आयात करने वाली फर्म का नाम और पता		
2. आयात लाइसेंस की संख्या एवं दिनांक		
3. आयात लाइसेंस का मूल्य		
4. दिए गए आदेशों का मूल्य		
5. अभी दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य		
6. यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान (अर्थात् जिस तारीख तक कुल उपयोग किया गया हो)		
7. अप्रयुक्त शेष :		
(1) किए जाने वाले भुगतान		
(2) अभ्यर्पण यदि कोई हो तो		

8. नीचे दर्शाए गए ब्यौरों के अनुसार किए गए भुगतानों के संबंध में (जैसा कि उपर्युक्त मद संख्या-6 में दर्शाया गया है) सी० ए० ए० एवं ए० । वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को अब तक भेजे गए पूर्ण दस्तावेजों का मूल्य ।

जिस बैंक द्वारा भेजे गए हैं, उस बैंक का नाम और उनके उस पत्र की संख्या और दिनांक जिस के अन्तर्गत भेजे गए हैं।		दस्तावेजों का मूल्य	
		रुपए	पौंड (*)
(1)			
	कुल		
(2)			
	कुल		

(ख) भुगतानों की प्रत्याशित तिथियों के साथ [उपर्युक्त मद 7(1)] में दर्शाए गए के अनुसार धनराशि का त्रैमासिक अनुमानित भुगतान।

टिप्पणी:—मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक उपयोग रिपोर्ट को भेजते समय जनवरी, फरवरी एवं मार्च के लिए मासिक आधार पर आंकलन भेजे जाते हैं।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.........

....

दिनांक.....................

(*) पौंड आयात लाइसेंस में दर्शाई गई दर के समतुल्य है।

अनुबन्ध 6

यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान, 1978 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के सम्बन्ध में संभरकों/पोतवणिकों/बीमाकर्ताओं (थोड़ी देर तक ठहरने, टूट-फूट आदि के लिए दावों का निपटारा करने के लिए) से प्राप्त वापसी के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट।

(विदेशी मुद्रा में निपटाए गए दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम
2. यू० के० साख का विवरण
3. आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख
4. आयात लाइसेंस का मूल्य
5. प्राप्त की हुई धन वापसी का मूल्य
6. धन वापसी किस प्रकार की थी। (संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए)
7. संबंधित दस्तावेजों के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत यू० के० संभरकों को प्रारम्भिक रूप में भुगतान किया गया था (भारतीय बैंक का नाम और उनके उस पत्र की संख्या एवं दिनांक का संकेत करें जिस के साथ वित्त मंत्रालय को दस्तावेज भेजे गए थे)
8. माल की बदली के लिए प्राप्त की गई की धन वापसी का उपयोग किया जाता है या नहीं यदि नहीं किया जाता है, तो उसकी पुष्टि कीजिए कि धनराशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई और उसको रुपए में भुना लिया गया है।
9. टिप्पणियां यदि कोई हों।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.........

....

का० वें० शेषाद्रि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

दिनांक....................

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th November, 1978

Public Notice No. 87-ITC(PN)/78

Subject : Schedule of conditions relating to the issue of licences for imports under the UK/India Maintenance Grant, 1978.

File No. IPC/39/2/76.—The terms and conditions governing the issue of licences under the UK/India Maintenance Grant, 1978, given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Appendix to Public Notice No. 87-ITC (PN)/78 dated 18-11-78

Licensing conditions for Import from the United Kingdom under the TK/India Maintenance grant, 1978

GENRAL CONDITIONS

1. Each import licence will bear superscription "UK/India Maintenance Grant 1978". In addition, each import licence will also bear the Licence Code "R/MG".

2. The import licence will be valid for imports only from the U. K. (which expression in this context will include the Channel Islands and the Isle of Man) of goods or materials wholly or mainly produced or manufactured in the U. K.

3. Minimum value of Import Licence.

The minimum value for which an import licence can issue for imports of spares, components and/or raw materials, etc. under the UK/India Maintenance Grant 1978 is Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only). This limit will, however, not apply to SSI Units, in which case the import licence for a value not less than Rs. 1,000- (Rupees one thousand only) can be issued by the licensing authority.

4. Validity of Import Licence.

The import licence will normally be valid for a period of Twelve (12) months from the date of its issue.

5. Intimation of Import Licence particulars.

Within a fortnight of receipt of the import licence the importers should intimate to the Department of Economic Affairs (Section Officer, WE II Section), New Delhi, the details of import licence viz. complete number. date, its value and the Supercription thereof together with a photostat copy of the import licence. A copy of the intimation together with a photostat copy of the import licence should also be endorsed to the Controller of Aid Accounts & Audit (CAA&A), Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), UCO Bank Building, Sansad Marg (Parliament Street), New Delhi. Any changes in the value/list of goods in the import licence should likewise be communicated alongwith photostat copy of the import licence to Section Officer, WE II Section (Department of Economic Affairs) and Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi.

PLACEMENT OF ORDERS

6. (a) Ordering Period—Firm orders on C&F or CIF (FOB/FAS if so desired by Government Department, Public Sector Undertakings) must be placed on the U. K. suppliers within Eight (8) months from the date of issue of the import licence. It may be clarified here that "Firm Orders" would mean not only the placement of orders by the Indian importers but also confirmation by U. K. suppliers in writing within the specified period of eight months. In other words ordering would not only mean placement of orders on the part of Indian importers but also acceptance or confirmation on the part of U. K. suppliers.

(b) Extension in Ordering Period—In cases where firm orders could not be placed within eight months for valid reasons, the licencee should approach the Import Licence Issuing Authority, immediately, giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed, for getting the ordering period [as prescribed in para 6(a) above] suitably extended. Such request will be considered on merits by the Licensing Authorities who may grant extension upto a further maximum period of Four months. If, however, extension is sought beyond Twelve (12) months from the date of issue of the Import licence, such proposals will invariably be referred by the Licensing Authorities to the Department of Economic Affairs (WE II Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(c) The term "Firm Orders" used in these licensing conditions would connote placement of orders for the full value of the licence within the validity period for ordering and NOT for part of licence value. In case an importer has not been able to place orders for the full value of the licence during the initial or extended validity vide para 6(b) above, then the licence will be deemed to be available only to the extent to which firm orders were placed within the validity period for placement of orders.

(d) The authorised dealer in foreign exchange will not allow any remittance or facilities for establishment of letter of credit unless satisfactory documentry evidence is produced by the licencee, indicating the placement of firm orders within the initial eight months or the extended period specifically allowed by the licensing authority [refer note below para 7 (b)].

ORIGIN OF GOODS

7. Responsibility of the importers to ensure U. K. contents. (a) Import licences under the UK/India Maintenance Grant 1978 will normally be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom. The Indian importer will be well advised in his own interest to ascertain from the U. K. suppliers, beforehand, whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should he enter into a firm commitment or contract with a U. K. supplier without specifically ascertaining this point.

(b) When on such enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section), New Delhi for confirmation whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier. In this connection it may be mentioned that in exceptional cases non-UK element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the goods in a single contract may be agreed to be financed under the UK/India Maintenance Grant 1978, provided the non-UK content forms an integral part of the finished products; and the non-UK origin material cannot be used independently of the finished products, proposed to be imported. For this purpose the Indian importer should apply for a specific approval enclosing a copy of the Contract Certificate, duly signed by the UK suppliers, in the prescribed form [Annexure II or Annexure III (Appendix C or Appendix C (Chemicals) as is appropriate] to the Department of Economic Affairs (WE II Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

Note : The importers while approaching the authorised Bank for opening a letter of credit are required to make available (prescribed number of copies) contract and the Contract Certificate, duly signed by the UK suppliers, in addition to other documents that may be needed by that Bank.

PAYMENTS

8. Payments to the U. K. suppliers.

(a) Payments to the U. K. suppliers, which are required to be made in Pound Sterling, can be arranged through normal banking channels, by making remittances.

(b) Individual payments must be arranged upon shipment of goods.

(c) All payments must be completed within TWO months of the expiry of import licence or within the period prescribed in the Import Control Policy announced from time to time, whichever is less.

(d) Where the shipment has already taken place within the validity of the import licence but payments could not be completed within the specified period, the importers are required to apply to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), UCO Bank Building, Sansad Marg, (Parliament Street), New Delhi, for grant of permission to the remittance of payments to the suppliers in U. K. stating the reasons for not making the payment within the prescribed period. While doing so the importers should give the name of their Bankers through whom the remittance is to be made and also furnish a copy each of the Invoice, Bill of Lading and the Contract Certificate, duly signed by the U.K. suppliers in the prescribed form [Annexure II or Annexure III (Appendix C or Appendix C (Chemicals) as is appropriate]

(e) Payments towards Indian Agents' Commission

All payments towards the Indian Agents' Commission should be made in Rupees in India. Such payments will, however, form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

REIMBURSEMENT

9. For obtaining reimbursement under the UK/India Maintenance Grant 1978, Government of India have to furnish to the U. K. Authorities :

(a) a copy of a certificate from the Contract concerned in the United Kingdom in the form set out in Appendix C or Appendix C (Chemicals) (Annexure II or Annexure III—whichever is appropriate), and

(i) In those cases where an Appendix C Certificate (Annexure II) has been provided, a payment Certificate in the forth set out in Appendix B (Annexure I) and the invoices referred to therein for retention by the Government of the United Kingdom; or

(ii) In those cases where an Appendix C (Chemicals) Certificate (Annexure III) has been provided the appropriate invoices only;

(b) Such other evidence as the Government of the United Kingdom may from time to time require of the details of the payment for which reimbursement is required.

DOCUMENTATION

10. The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below, at the time of claiming payment for the goods supplied :—

(a) The original invoice with sufficient number of photo copies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, import licence No. and date, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C&F or CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance).

(b) Sufficient number of copies of the Payment Certificate in the form given in Annexure I (Appendix B) not required in respect of contracts for which Contract Certificate (Chemicals) in the form given in Annexure III [Appendix C (Chemicals)] has been provided. For this purpose a specimen blank form of the Payment Certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

(c) Adequate number of copies or photostat copies of the Contract Certificate prescribed in Annexure II or Annexure III [Appendix C or Appendix C (Chemicals)].

INDIAN BANK'S RESPONSIBILITY TO ENABLE THE GOVERNMENT OF INDIA TO OBTAIN REIMBURSEMENT UNDER THE U. K. GRANT

11. While opening Letter of Credit, the authorised Exchange Bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the U.K. Suppliers.

12. Indian Bank, after remitting sterling payments, should within the next SEVEN (7) days, send the necessary documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Sansad Marg, (Parliament Street), New Delhi, to enable the Government of India to obtain the necessary reimbursement under the U. K. Grant. The documents to be furnished are :—

(a) Contract Certificate in the form at Annexure II or Annexure III [Appendix C or Appendix C (Chemicals)—as is appropriate], duly signed by the U.K. supplier.

(b) Payment Certificate in the form given in Annexure I (Appendix B), duly signed by the U. K. supplier.

(c) A copy of invoice, containing all details as mentioned in para 10(a) above.

13. These arrangements do not absolve the licensee of his responsibility to ensure that all the documents, as indicated above, are forwarded from time to time by the bank, duly completed in all respects, to the Ministry of Finance for obtaining necessary reimbursement under the U. K. Grant.

REPORTS ON THE UTILISATION OF THE IMPORT LICENCES

14. A quarterly report, as in Annexure IV, showing the utilisation status of the licence, should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Sansad Marg, (Parliament Street), New Delhi, until the licence is fully utilised, with a copy to Section Officer, WE II Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi so as to reach within TWO WEEKS of the expiry of the quarter.

MISCELLANEOUS

15. Notifying Supplies of Special Conditions :

The licensee should apprise the foreign supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

16. Refunds from U.K. Suppliers :

If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amounts received, together with other relevant particulars should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in para 12 above, as and when such refunds are received. The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure V.

17. Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise between the licensee and the suppliers.

18. Compliance with Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

19. Breach or Violation :

Any breach or violation of the above conditions will result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act.

* * * * *

LIST OF ANNEXURES

ANNEXURE I	—Payment Certificate.
ANNEXURE II	—Contract Certificate.
ANNEXURE III	—Contract Certificate for Chemicals and Allied Products only.
ANNEXURE IV	—Form of Quarterly Utilisation Report.
ANNEXURE V	—Report on refunds received.

ANNEXURE I

APPENDIX B

THE UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE GRANT 1978

PAYMENT CERTIFICATE

I hereby certify that :

(i) the payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No. .....dated.....between the contractor name below and.....(Purchaser) and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on.....

Contractors' Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods, works and/or services

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 6, 7, or 8 of the Contract Certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signed .....
Position held .....
For and on behalf of .....
Name and Address of
Contractor .....
Date .....

Note : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE II

APPENDIX C

THE UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE GRANT 1978

CONTRACT CERTIFICATE

(For Chemicals and Allied Products use alternative 'Certificate' Overleaf)

PARTICULARS OF CONTRACT

1. Date of Contract ..... 2. Contract No. .....
3. Import Licence No. .....Date .....
4. Description of goods or services to be supplied to the purchaser "(Including international tariff/trade code number)". .....
.....

If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this Certificate.

5. Total contracts price payable by purchaser (State CIF, C&F or FOB) £.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer.

6. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the contractor directly from abroad i.e. % of imported raw-material of components used to manufacture.
   (a) % FOB value .....
   (b) Description of items and brief specifications.....
   .....
7. If any raw-material or components used originated from abroad, e.g. copper asbestos, cotton, wood pulp, etc. but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify :—
   (a) % FOB value .....
   (b) Description of items and brief specifications .....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED

8. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by :—
   (a) Your firm (site engineer's charges, etc. .....
   (b) Local contractor.....
9. State reasons for use of foreign items mentioned in paragraphs 6, 7 or 8 above e.g. no UK equivalent available, integral part of equipment etc. .....
10. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7 or 8 above.

11. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this ce rt - ficate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin wi l be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 6, 7, 8 and 9 above.

Signed .....
Position held .....
Name and Address of Contractor.....
.....

Date : .....

NOTE :—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

FOR OFFICIAL USE ONLY
Name or number of Project.....

PAYMENTS

Amount Committed	Date of Entry	Acceptance		Date	Amount	PA No.	Initials
		Date	Initials				

ANNEXURE III

APPENDIX C (CHEMICALS)

THE UNITED KINGDOM/INDIA MAINTENANCE GRANT 1978

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract ..... Contract No. .....
Import Licence No. .....Date .....

2. Description of Product(s) to be supplied to Purchaser (Note A)	Price	U.K. Tariff Classification (Note B)	Is the product of UK Origin ; State 'YES' or 'NO'.
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling £ .....

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the Authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed.....
Position held .....
Name and Address of
Contractor .....

Date : .....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-heading of Chapters 15, 25, 28-35, 37-40 of the U.K. Tariff.

B. SEE:

(i) H.M. Customs & Excise Tariff H.M.S.O.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

C. (i) A product is regarded as of 'U.K.' Origin' if made either wholly from indigenous U.K. material OR according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying process are set out in Schedule I of the EFTA Compendium for the Use of Exporters', H.M.S.O.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion" does not play.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "U.K. Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the 'Basic Materials List' (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from the Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, N4 Department, 4 Mill bank, London SW 1.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE IV

FORM OF QUARTERLY UTILISATION REPORT IN RESPECT OF LICENCE ISSUED UNDER UK/INDIA MAINTENANCE GRANT 1978

(To be furnished separately in respect of each licence)

FOR THE QUARTER — 1st April to 30th June / 1st July to 30th Sept / 1st Oct. to 31st December / 1st Jan. to 31st March

(A) 1. Name of the Importing Firm with Address.
2. No. and date of import licence.
3. Value of Import Licence. — Rupees / Pounds (*)
4. Value of orders placed.
5. Value of orders yet to be placed.
6. Payments made to U.K. Suppliers (i.e. total utilisation upto date).
7. Balance unutilised :
(i) Payments yet to be made.
(ii) Surrenders, if any.
8. Value of complete documents forwarded so far to C.A.A. & A., Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi, in respect of payments made (as shown in item 6 above) as per details shown below :

Name of Bank by whom forwarded and No. & date of their communication under which forwarded.	Value of documents	
	Rupees	Pounds(*)
(i)	.....	.....
(ii)	.....	.....
TOTAL	.....	.....

(B) Quarterly Estimates of payments of the amount [as shown in item 7(i) above] with anticipated dates of payments.

N.B.—While furnishing quarterly utilisation report for the quarter ending March, estimates to be furnished on monthly basis for January, February & March.

Date :.....

Signature of the authorised Officer of the Importing Firm.

(*) Pounds equivalent at the rate shown in the import licence.

ANNEXURE V

REPORT SHOWING DETAILS OF REFUNDS RECEIVED FROM SUPPLIERS/SHIPPERS/INSURERS (TOWARDS SETTLEMENT OF CLAIMS FOR SHORT LANDING, DAMAGES, ETC.) IN RESPECT OF IMPORTS FROM UNITED KINGDOM UNDER UK/INDIA MAINTENANCE GRANT 1978.

(Only for claims settled in foreign exchange)

1. Name of Importing Firm.
2. Particulars of U.K. Credit.
3. No. & Date of Import Licence.
4. Value of Import Licence.
5. Amount of refunds received.
6. Nature of refund.
(Give brief details).
7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the U.K. suppliers (indicate name of Bank and reference to their letter No. & Date, forwarding documents to the Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not, confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.
9. Remarks, if any.

Signature of the authorised Officer of the Importing Firm.

Date : .....

K.V. SESHADRI,
Chie Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978